

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल - 462021
दूरभाष 0755-2583650 फैक्स 0755-2583651
ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क/स्था.1/राज/बी/271/2008/1313

भोपाल दिनांक 27-9-2008


// आदेश //

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 13-12/2007/20-1 दिनांक 13.8.2007, आदेश क्रमांक एफ 13-12/2007/20-1 दिनांक 16.11.2007 एवं आदेश क्रमांक एफ 13-12/2007/20-1 दिनांक 19.12.2007 द्वारा प्राचार्य हाईस्कूल संवर्ग से प्राचार्य उमावि संवर्ग में पदोन्नति की गई थी। उक्त आदेश की क्रमशः कण्डिका 11 एवं 12 में यह उल्लेख किया गया था कि निर्धारित समयावधि में उपस्थित न होने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त मानी जावेगी, तदनुसार मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पदोन्नति निरस्ती के औपचारिक आदेश जारी किये गये थे।

2/ प्रशासकीय अनुमोदन के आधार पर शासनादेश द्वारा पदोन्नति निरस्ती आदेश को एतद् द्वारा निरस्त करते हुए उक्त शासनादेश द्वारा हाईस्कूल संवर्ग से पदोन्नत प्राचार्य उमावि को पदोन्नत पद पर उपस्थित होने हेतु दिनांक 15.10.2008 की समय सीमा निर्धारित कर नियत की जाती है तथा संबंधित को वरिष्ठता एवं अन्य लाभ कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रभावशील रहेगा।

3/ पदोन्नत समस्त प्राचार्य हाईस्कूल को निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नति निरस्ती के संबंध में अपना अभ्यावेदन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के अभिमत सहित दिनांक 6.10.2008 तक संचालनालय लोक शिक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संबंधित के अभ्यावेदन का परीक्षण उपरांत नियमानुसार पदोन्नत प्राचार्य उमावि के पद पर उपस्थित होने की अनुमति की कार्यवाही की जाकर निर्धारित तिथि तक उपस्थिति होने के निर्देश जारी किया जा सके।


4/ निर्धारित समय सीमा में जानकारी प्राप्त न होने पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।


आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

पृष्ठां.क्रमांक क/स्था.1/राज/बी/271/2008/1314
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 27-9-2008

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी/राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा म.प्र.
 2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
 3. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर
 4. समस्त कलेक्टर जिला.....म.प्र.
 5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत..... म.प्र.
 6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी.....म.प्र.
 7. समस्त कोषालय अधिकारी.....म.प्र.
 8. प्राचार्य,
 9. संबंधित श्री
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल - 462021
दूरभाष 0755-2583650 फैक्स 0755-2583651
ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क/स्था.1/राज/बी/268/2008/1317

भोपाल दिनांक 27-9-2008

//आदेश//

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा व्याख्याता संवर्ग से प्राचार्य हाईस्कूल संवर्ग पर पदोन्नति करते हुये संचालनालय द्वारा आदेश दिनांक 2.4.2007, 24.12.2007, 14.8.2008 एवं 3.9.2008 द्वारा पदोन्नति आदेश जारी किये गये थे ।

2/ पदोन्नति आदेश की कंडिका क्रमशः 14, 13 में यह उल्लेख किया गया था कि निर्धारित समयवधि तक उपस्थित न होने वाले प्राचार्यों की पदोन्नति स्वमेव निरस्त मानी जायेगी तथा पदोन्नति/निरस्ती के औपचारिक आदेश जारी किये गये थे ।

3/ पदोन्नत समस्त प्राचार्य हाईस्कूल को निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नति निरस्तगी के संबंध में अपना अभ्यावेदन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के अभिमत सहित दिनांक 6.10.2008 तक संचालनालय लोक शिक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संबंधित के अभ्यावेदन का परीक्षण उपरान्त नियमानुसार पदोन्नत प्राचार्य हाईस्कूल के पद पर उपस्थित होने की अनुमति की कार्यवाही की जाकर निर्धारित तिथि तक उपस्थिति होने के निर्देश जारी किया जा सके ।

4/ निर्धारित समय सीमा में जानकारी प्राप्त न होने पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा ।

आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

क/स्था.1/राज/बी/268/2008/1318
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 27-9-2008

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी/राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा म.प्र.
 2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
 3. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर
 4. समस्त कलेक्टर जिला.....म.प्र.
 5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत..... म.प्र.
 6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी.....म.प्र.
 7. समस्त कोषालय अधिकारी.....म.प्र.
 8. प्राचार्य,
 9. संबंधित श्री
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल - 462021
दूरभाष 0755-2583650 फैक्स 0755-2583651
ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क/स्था.1/राज/बी/268/2008/1341

भोपाल दिनांक 27.9.2008


//आदेश//

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्रमांक स्था-1/राज/बी/268/2008/1317-1318 दिनांक 27.9.2008 के द्वारा प्रसारित आदेश के बिन्दु क्रमांक-4 के बाद निम्नानुसार बिन्दु क्रमांक-5 स्थापित किया जाता है :-

- 5/ प्रशासकीय अनुमोदन के आधार पर संचालनालय द्वारा पदोन्नति निरस्ती आदेश को एतद् द्वारा निरस्त करते हुए संचालनालय द्वारा व्याख्याता संवर्ग से पदोन्नत प्राचार्य हाईस्कूल को पदोन्नत पद पर उपस्थित होने हेतु दिनांक 15.10.2008 की समय सीमा निर्धारित कर नियत की जाती है तथा संबंधित को वरिष्ठता एवं अन्य लाभ कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रभावशील रहेगा ।


शेष निर्देश यथावत रहेंगे ।

“आयुक्त द्वारा आदेशित”


सहायक संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
भोपाल दिनांक 27.9.2008

पृष्ठां.क्रमांक क/स्था.1/राज/बी/268/2008/1342
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी/राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा म.प्र.
 2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
 3. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर
 4. समस्त कलेक्टर जिला.....म.प्र.
 5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत..... म.प्र.
 6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,.....म.प्र.
 7. समस्त कोषालय अधिकारी,.....म.प्र.
 8. प्राचार्य,
 9. संबंधित श्री
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


सहायक संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश